"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 436] रायपुर, गुरूवार, दिनांक 24 सितम्बर 2020—आश्विन 2, शक 1942

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3.-छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्र. 13 सन् 2013) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1. नियम 3 के उप–नियम (3) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ख) आवेदक का पिछली तीन पीढ़ियों से प्रारंभ, हल्का पटवारी द्वारा सम्यक् रुप से जारी वंशवृक्ष, इस वंशवृक्ष को जारी करने के लिये हल्का पटवारी, नियम 3 के उप–नियम (3) के खण्ड (ड.) में उल्लिखित सुसंगत दस्तावेजों का सहारा लेगा और अपनी स्पष्ट टीप वंश वृक्ष की सत्यता के संबंध में उल्लिखित करेगा ।"

2. नियम 3 के उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(5) कोई आवेदन पत्र किसी भी रुप में अपूर्ण होने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा । आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में स्पष्ट जानकारी अंकित करना आवश्यक है।"

3. नियम 9 के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"यदि सक्षम प्राधिकारी सामाजिक प्रास्थिति के दावे से संतुष्ट नहीं है तब वह आवेदन को निरस्त कर सकेगा। यदि आवेदक, सक्षम प्राधिकारी के आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह आदेश की प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा ।"

4. नियम 10 के उप–नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(3) अस्थायी प्रमाणपत्र किसी भी आवेदक को उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व ही जारी किया जा सकेगा ।"

5. नियम 14 के उप–नियम (1) के खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(घ) संबंधित जिले के अजाक पुलिस थाने में पदस्थ एक उप पुलिस अधीक्षक – सदस्य

(छ) सहायक आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग" – सदस्य–सचिव

6. नियम 14 के उप–नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"(5) सत्यापन समिति की बैठक के लिए न्यूनतम 5 व्यक्तियों का कोरम होगा, परन्तु ऐसे वर्ग जिसके प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा रहा है, उस वर्ग के अधिकारी की उपस्थिति आवश्यक होगी।"

7. नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"**15. प्रमाणपत्र का सत्यापन एवं सत्यापन समिति को संदर्भीकरण.**– (1) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के सभी

मामलों में या किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी के प्रकरणों में, संबंधित व्यक्ति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए संबंधित सत्यापन समिति को ऐसे प्रवेश/नौकरी में आने के तीन महीने के भीतर आवश्यक रूप से भेजेगी। इसके लिए वह प्ररूप 2ख में ऐसे व्यक्ति को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा तथा प्ररूप 1ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा ।

(2) यदि यथास्थिति, संबंधित लोक नियोजक, शैक्षणिक संस्थान या संवैधानिक निकाय, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार को शिकायत प्राप्त होती है अथवा संदेह आगे भी कभी उदभूत होता है कि नियुक्त, प्रवेशित, निर्वाचित, नामित अथवा नामांकित व्यक्ति ने त्रुटिपूर्ण रूप से या कपटपूर्ण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किया है, तो वह प्ररूप 2ख में ऐसे व्यक्ति को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहेगा तथा प्ररूप 1ख में सत्यापन समिति को प्रकरण निर्दिष्ट करेगा।

(3) कोई अनावेदक, किसी प्रमाणपत्र को सत्यापन समिति को संदर्भित करने के स्थान पर, आवेदक को यह निर्देशित कर सकेगा कि वह अपना प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा सत्यापित कराये। ऐसी स्थिति में, आवेदक अपना मूल प्रमाण पत्र, प्ररूप 1ग में आवेदन पत्र के साथ प्ररूप 2ग में शपथ पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित दस्तावेज संबंधित सत्यापन समिति को प्रस्तुत करेगा।

(4) सत्यापन समिति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये कुल प्रमाण पत्रों के लगभग 20 प्रतिशत का सत्यापन क्रमरहित नमूना पद्धति के माध्यम से नमूना जांच के रूप में करेगी। आवेदक, सत्यापन समिति से ऐसी सूचना के संबंध में पूछे जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा कि उसके प्रमाण पत्र का चयन सत्यापन हेतु क्यों किया गया है।

(5) सत्यापन समिति, ऐसे प्रकरण, जिसमें उसे किसी व्यक्ति के सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र के छलपूर्वक हासिल करने या संबंधित व्यक्ति की जाति

के संबध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, में सत्यापन के लिए आवेदक द्वारा किये गये आवेदन के साथ प्रस्तुत प्ररूप 1क तथा प्ररूप 2क शपथ पत्र एवं संबंधित पूरी नस्ती पर संज्ञान लेगी और आवेदक को अपने सामाजिक प्रास्थिति दावे के समर्थन में सभी सुसंगत दस्तावेज यथा अनुरूप मूल प्रति में प्रस्तुत करने के लिए कहेगी।

सत्यापन समिति, आवेदक को प्ररूप 1ग में आवेदन पत्र, प्ररूप 2ग में शपथ पत्र और नियम 3 के उप–नियम (3) के अधीन यथा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देश देगी।

(6) सत्यापन समिति से इस नियम के उप–नियमों के अधीन निर्देशित किये जाने अथवा सत्यापन समिति से उसे अपना प्रमाणपत्र सत्यापित कराये जाने हेतु अनावेदक से इस नियम के उप–नियमों के अधीन निर्देशित किये जाने पर, आवेदक, शपथ पत्र के साथ उपरोक्त उल्लिखित आवेदन पत्र तथा नियम 3 के उप–नियम (3) में यथा अपेक्षित दस्तावेज, 15 दिन की अनधिक अवधि के भीतर, प्रस्तुत करने हेतु आबद्ध होगा, ऐसा करने से विफल रहने पर सत्यापन समिति निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी:

परन्तु जहां आवेदक, सत्यापन समिति को इस बात का समाधान करा देता है कि वह एक माह की विहित समयावधि के भीतर, समुचित कारणों से आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है तो सत्यापन समिति, आवेदक के प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए अधिकतम 15 दिन की समयावधि और बढ़ा सकेगी।

यदि इस बढ़ाई गई समयावधि में भी आवश्यक आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो आवेदक का सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र स्वमेव निलंबित हो जायेगा। यदि 3 माह की अवधि के भीतर भी आवेदन पत्र, शपथ पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो सत्यापन समिति एकपक्षीय निर्णय ले सकेगी तथा ऐसे

आवेदक के प्रमाणपत्र को नियम 18 के अधीन छानबीन समिति को अग्रेषित कर सकेगी।

(7) सत्यापन समिति, ऐसे प्रकरण, जो उसे प्रथम दृष्ट्या ऐसे प्रतीत होते हैं कि सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र छलपूर्वक/अनुचित तरीके से/त्रुटिवश हासिल किये गये है या प्रथम दृष्ट्या प्रमाणपत्र धारक, दावा की गई जाति का व्यक्ति नही है, मे प्रकरण को सीधे छानबीन समिति को समस्त जानकारी, सुसंगत दस्तावेज और अपने निष्कर्ष के साथ भेज सकेगी :

परन्तु छानबीन समिति को प्रकरण भेजने के पूर्व आवेदक/प्रमाण पत्र धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर अवश्य देगी।

सत्यापन समिति, नियम 18 के अधीन अपनी रिपोर्ट छानबीन समिति को भेजते हुए हस्तगत प्रकरण को प्रथम दृष्ट्या श्रेणी का मानने और सामाजिक प्रास्थिति के दावे को नकारने के अपने निष्कर्ष में युक्तिसंगत कारणों का अवश्य ही उल्लेख करेगी।

(8) सत्यापन समिति, किसी प्रकरण में अतिरिक्त मैदानी जांच की आवश्यकता प्रतीत होने पर, उप पुलिस अधीक्षक, अजाक, जो कि अध्यक्ष होगे, को शामिल करते हुए दो सदस्यों की उपसमिति का गठन कर, सामाजिक प्रास्थिति के दावे के संबंध में आवश्यक मैदानी जांच करा सकेगी। यह जांच सतर्कता प्रकोष्ठ जांच के सदृश्य की जा सकेगी।

उप समिति, इस जांच के दौरान आवेदक के स्थानीय निवास, मूल निवास एवं सामान्य निवास आदि क्षेत्रों में जाकर आवश्यक जांच करेंगे। इस दौरान गांव के कोटवार, सरपंच, हल्का पटवारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि या ऐसे व्यक्ति, जो आवेदक के पक्ष या विपक्ष में तथ्य या दस्तावेज रखना चाहे, स्थानीय राजपत्रित अधिकारी एवं उसी जाति के प्रतिष्ठित सामाजिक सदस्यों, जो कि आवेदक के परिवार से परिचित हो, उनसे भी आवश्यक जानकारी एवं बयान लेख करेगी। इनमें से अगर कोई अपनी बात

के समर्थन मे शपथ पत्र देना चाहे तो वह उसे शपथ पत्र भी प्रस्तुत करने की अनुमति देगी।

उप समिति आवेदक अथवा उसके पालक के साथ साथ उनके द्वारा प्रस्तुत अन्य गवाहों के कथन भी अंकित करेगी।

यदि उप समिति द्वारा जांच के दौरान कोई भी दस्तावेज कूट रचित या दुष्प्रयोजन की नीयत से निर्मित पाया जाता है तो उसे स्थानीय पुलिस थाने के सहयोग से जप्त कर सकेगी।

उप समिति अपनी जांच 15 दिन से अनधिक अवधि मे पूर्ण कर सुसंगत दस्तावेजो के साथ अपनी रिपोर्ट सत्यापन समिति को सौंपेगी।"

8. नियम 17 के उप–नियम (1) में, शब्द "एक माह" के स्थान पर, शब्द "15 दिन" प्रतिस्थापित किया जाये।

9. नियम 18 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:–

"18. **आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट न होने पर, सत्यापन समिति द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.**– (1) जहां सत्यापन समिति, जाच के उपरांत, आवेदन पत्र, शपथ पत्र एवं उससे संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट नहीं है, तो वह आवेदन पत्र के प्राप्त होने के तिथि से 15 दिवस के भीतर अथवा अनावेदक द्वारा संदर्भित करने के 15 दिवस के भीतर, आवेदक तथा अनावेदक, यदि कोई हो, को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी :

परन्तु सत्यापन समिति, 15 दिवस की अनधिक अवधि में सुनवाई पूर्ण करेगी तथा प्रकरण में, जहां सत्यापन समिति की राय हो कि प्रमाणपत्र त्रुटिपूर्वक या कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया प्रतीत होता है वहां सत्यापन समिति, छानबीन समिति को मूल प्रमाणपत्र सहित सुसंगत दस्तावेज तथा अपने निष्कर्ष आगे यथोचित कार्यवाही के लिए अग्रेषित करेगी तथा आवेदक एवं अनावेदक, यदि कोई हो, को भी सूचित करेगी।

(2) सत्यापन समिति, ऐसे प्रकरण, जिसमें सामाजिक प्रास्थिति के दावे को प्रथम दृष्टया सही नहीं पाती है, समस्त प्रकरणों में छानबीन समिति को अपनी रिपोर्ट

भेजने के साथ–साथ संदर्भित प्रमाणपत्र को निलंबित करने का निर्देश सक्षम प्राधिकारी को दे सकेगी।

(3) सत्यापन समिति, छानबीन समिति को अग्रेषित प्रमाणपत्र एवं प्रकरणों का विवरण प्ररूप 5च में संधारित करेगी।"

10. नियम 19 के उप–नियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"(2) छानबीन समिति, सत्यापन समिति द्वारा अग्रेषित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजों के अध्ययन पश्चात् यह निर्धारित करेगी कि प्रकरण में आगे सतर्कता प्रकोष्ठ से जांच की आवश्यकता है अथवा नहीं।

छानबीन समिति, ऐसे प्रकरण, जहां वह यह निर्णय करती है कि आगे सतर्कता जांच किया जाना आवश्यक है, सतर्कता प्रकोष्ठ को नियम 20 के तहत आगे जांच के लिए सत्यापन समिति की रिपोर्ट प्रेषित करेगी।

छानबीन समिति, ऐसे प्रकरण, जहां सत्यापन समिति की रिपोर्ट से प्रथम दृष्ट्या संतुष्ट है, एक समरी जांच (संक्षिप्त जांच) के उद्देश्य से आवेदक / प्रमाणपत्र धारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

सुनवाई उपरान्त, छानबीन समिति, यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि आवेदक का सामाजिक प्रास्थिति का दावा सही एवं उचित नहीं है तो वह सीधे ही नियम 23 के अधीन आदेश पारित करने की कार्यवाही कर सकेगी, इस हेतु अपने आदेश मे कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना आवश्यक होगा।

छानबीन समिति, सुनवाई के पश्चात् यदि इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि सत्यापन समिति की रिपोर्ट तथ्य अनुरूप नहीं है या फिर इसमें किसी तरह की कमी है, उस स्थिति में सतर्कता प्रकोष्ठ को नियम 20 के तहत आगे जांच के लिए सत्यापन समिति की रिपोर्ट प्रेषित कर सकेगी। इस स्थिति में, जाति प्रमाणपत्र का निलंबन समाप्त कर दिया जाएगा।"

11. नियम 20 के उप–नियम (2) स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:–

"(2) उप पुलिस अधीक्षक स्वय या अपने अधीनस्थ पुलिस निरीक्षक के माध्यम से प्रकरण की जाच करेगा तथा तदनुसार, उसकी सूचना छानबीन समिति को देगा।"

12. नियम 20 के उप–नियम (3) में, शब्द "सतर्कता प्रकोष्ठ के पुलिस निरीक्षक" के स्थान पर, शब्द "सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक स्वयं या उनके अधीन के पुलिस निरीक्षक" प्रतिस्थापित किया जाये।

13. नियम 20 के उप–नियम (3) के खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(ग) आवेदक के द्वारा सत्यापन समिति को प्रस्तुत आवेदन पत्र में अंकित जानकारी का सत्यापन, सुसगत लोक दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा।"

14. नियम 20 के उप–नियम (3) के खण्ड (च) एवं (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित जाये, अर्थात्:–

"(च) प्रकरण मे शिकायतकर्ता, यदि हो तो, या कोई भी व्यक्ति, जो सामाजिक प्रास्थिति के दावे का विरोध या समर्थन करता है उसका बयान लेखबद्ध करेंगे या उनसे शपथपत्र प्राप्त करेंगे एवं सुसंगत दस्तावेज, यदि कोई प्रस्तुत किया जाए तो, उस पर संज्ञान लेंगे।

(छ) परीक्षण के दौरान यदि यह पाया जाता है कि आवेदक या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा दुष्प्रयोजन से दस्तावेजों में कोई कूट रचना की गई है, तो दस्तावेज के संबंधित पृष्ठों की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् स्थानीय पुलिस की सहायता से दस्तावेज जप्त कर एवं उसकी पावती एवं छायाप्रति दस्तावेज संधारित करने वाले प्राधिकारी को देंगे तथा दस्तावेज सीलबंद कर सतर्कता प्रकोष्ठ के उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।"

15. नियम 20 के उप–नियम (3) के खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोडा जाये, अर्थात्:–

"(ज) जांच–पड़ताल पूर्ण होने के उपरांत, समस्त जांच दस्तावेजों के साथ अपनी रिपोर्ट उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत करेंगे।"

16. नियम 20 के उप–नियम (7) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"(8) सतर्कता प्रकोष्ठ अपनी जांच दो माह से अनधिक समय में पूर्ण करेगा।"

17. नियम 21,–

(एक) उप–नियम (1) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप–नियम (1) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि छानबीन समिति, ऐसे प्रकरण, जहां वह सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट से संतुष्ट और सहमत है, सतर्कता प्रकोष्ठ की सिफारिश के अनुरूप कार्यवाही करेगी:

परन्तु यह और कि छानबीन समिति, आवेदक का सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावा सही पाने की स्थिति में, संबंधित सत्यापन समिति या राज्य सरकार और आवेदक को इसकी सूचना देगी :

परन्तु यह और भी कि छानबीन समिति, ऐसे प्रकरण, जहां वह सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट से संतुष्ट और सहमत नहीं है, सतर्कता प्रकोष्ठ को अपने द्वारा निर्धारित बिन्दुओं पर आगे जांच के लिए निर्देशित कर सकेगी अथवा स्वयं जांच करने का निर्णय करेगी।"

(तीन) उप–नियम (2) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(चार) उप–नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि छानबीन समिति, आवेदक का सामाजिक प्रास्थिति संबंधी दावा उचित या सही नहीं पाए जाने की स्थिति में, आवेदक को सुनवाई का एक अवसर प्रदान करेगी और आवेदक से पूछेगी कि सत्यापन समिति के बाद

सतर्कता प्रकोष्ठ की रिपोर्ट भी उसके दावे के विरूद्ध है, अतः क्यों न स्वीकार कर ली जाए:

परन्तु यह और कि छानबीन समिति, आवेदक/प्रमाणपत्र धारक के जवाब एवं प्रस्तुत दस्तावेज को उचित कारण मानने की स्थिति में, आगे स्वयं प्रकरण में जांच करेगी:

परन्तु यह और भी कि यदि छानबीन समिति आवेदक/प्रमाणपत्र धारक के जवाब और प्रस्तुत दस्तावेजों से संतुष्ट नहीं होती है तो नियम 23 के अंतर्गत अपने अंतिम निर्णय के लिए सुनवाई समाप्त घोषित कर देगी।"

18. नियम 22,–

(एक) उप–नियम (2) में, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये; तथा

(दो) उप–नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्:–

"परन्तु यह कि आवेदक का उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् छानबीन समिति बैठक आयोजित कर सुनवाई की तिथि निर्धारित करेगी।'

(तीन) उप–नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(3) छानबीन समिति, सुनवाई से संबंधित आम सूचना भी जारी करेगी, जिसका प्रचार–प्रसार गांव में डोंडी पिटवाकर, ईश्तहार या अन्य सुविधाजनक साधनों के माध्यम से किया जायेगा, ताकि कोई व्यक्ति या संस्था आवेदक के दावे का समर्थन या विरोध कर सके तथा ऐसे व्यक्ति या संस्था, यदि कोई हो, को भी सुनवाई के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।"

19. प्ररूप 6क में, शब्द "की जांच एवं छानबीन हेतु" का लोप किया जाये।

20. प्ररूप 6ख की पैरा 3 की प्रविष्टि 1, 2 एवं 3 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"क्यों न आपका सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाये?"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

अटल नगर, दिनांक 24 सितम्बर 2020

क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ 13-23/2012/आ.प्र./1-3 दिनांक 24-09-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

Atal Nagar, the 24th September 2020

NOTIFICATION

No. F 13-23/2012/R.C./1/3.- In exercise of powers conferred by Section 19 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Act, 2013 (No. 13 of 2013), the State Government, hereby, makes the Amendment following of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of Social Status Certification) Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For clause (b) of sub-rule (3) of rule 3, the following shall be substituted, namely:-

"(b) Family tree of the applicant starting from last three generations, duly issued by the Halka Patwari, for issuance of Family tree, the Halka Patwari shall take support the relevant documents mentioned in clause (e) of sub-rule (3) of rule 3 and shall mention his clear comment regarding the authenticity of the Family Tree."

2. After sub-rule (4) of rule 3, the following shall be added, namely:-

"(5) No incomplete application form shall be accepted in any manner. Accurate information is mandatory to be filled in each column of the application."

3. after rule 9, the following shall be added, namely:-

"If the Competent Authority is not satisfied with the Social Status Claimed then he may reject the application. If the applicant is not satisfied with the Order of the Competent Authority, he can file an appeal before the Appellate Authority within 30 days of receiving the Order."

4. After sub-rule (7) of rule 10, the following shall be added, namely:-

"(8) Provisional certificate can be issued to any applicant only before he/she completes 18 years of age."

5. For clause (f) of sub-rule (1) of rule 14, the following shall be substituted, namely :-

"(f)	One Deputy Superintendent of Police posted in ADAK Police Station of Concerned District	Member
(g)	Assistant Commissioner, Scheduled Tribes and Scheduled Castes Development Department	Member-Secretary"

6. After sub-rule (4) of rule 14, the following shall be added, namely :-

"(5) There shall be a minimum quorum of five persons for meeting of the verification committee, provided that the presence of the officer of such Section, whose certificate is being verified, will be required."

7. For rule 15, the following shall be substituted, namely:-

"15. **Verification of Certificate and reference to Verification Committee.-** (1) If in all cases of admissions in professional courses of the concerned public employer, educational institution or a statutory body, the State Government or the Central Government, as the case may be, or in case of any permanent Government Job, the Social Status Certificate of the concerned person must be sent for verification to the concerned Verification

Committee within 3 months of Such admission/ joining. For this purpose, it shall ask such person to file an affidavit in Form-2B and shall refer the matter to the Verification Committee in Form-1B.

(2) If the concerned public employer, educational institution or a statutory body, the state Government or the Central Government, as the case may be, receives a complaint or raises a doubt in future that the person appointed, admitted, elected, named or nominated has obtained Certificate wrongly or fraudulently, then he/it shall ask such person to file an affidavit in Form-2B and shall refer the matter to the Verification committee in Form-1B.

(3) A Non- Applicant, instead of referring a certificate to the Verification Committee, may direct the applicant that he get verification to his certificate by the Verification Committee. In such cases, the applicant shall submit his original certificate to concerned District Verification Committee, an application in Form-1C along with affidavit in Form-2C and document as required under sub-rule (3) of rule 3.

(4) Verification Committee shall verify about 20 percent of the total number of certificates issued by the Competent Authority, as sample inquiry through random sampling method. The applicant shall not be at liberty to seek such information from the Verification Committee as to why his certificate has been selected for verification.

(5) Verification Committee, in such cases, where it receives any complaint regarding the social status certificate of any person as fraudulently procured or regarding the caste of the concerned person, shall take cognizance of the application submitted by the applicant for verification along with Form-

I A and Affidavit Form 'A' and the entire file of the case and may ask the applicant to submit all relevant document in original to support his/her Social Status claim

Verification Committee shall direct any Applicant to submit application in Form-1C, affidavit in Form-2C and document as required under sub-rule (3) of rule 3.

(6) In case of direction from Verification Committee under sub-rules of this rule or direction from Non-Applicant under sub-rules of this rule to verifying his/her Certificate form the Verification Committee, the applicant shall be bound to submit the application as mentioned above along with affidavit and documents as required under sub-rule (3) of rule 3 within a period of not more than 15 days, failing which the Verification Committee may decide and Certificate of such applicant shall be forwarded under rule 18 to Scrutiny Committee:

Provided that where applicant satisfies the Verification Committee that application, affidavit and other documents could not be submitted within prescribed time limit of one month, due to adequate reasons, the Verification Committee may extend the time for a maximum period of 15 days for the verification of certificate of the applicant.

If the applicant fails to submit requisite application form, affidavit and other documents in this extended period then the Social Status Certificate of the applicant shall be suspended automatically. If even the applicant fails to submit requisite application form, affidavit and other documents within period of 3 months then Verification Committee will decide ex-party and Certificate of such applicant shall be forwarded under rule 18 to the Scrutiny Committee.

(7) Verification Committee, in such cases where it found prima facie that Social Status Certificate has been procured fraudulently by inappropriate means by error or prima facie the Certificate holder does not belongs to the caste claimed, may send the matter directly to scrutiny committee along with all information, relevant documents and its conclusions:

Provided that reasonable opportunity of hearing must be given to the applicant/certificate holder before sending the case to scrutiny committee.

Verification Committee, while sending its report to scrutiny committee under rule 18, must be mentioned the rational reasons for its conclusions for treating the case as prima facie to the case in hand and rejecting the claim of social status.

(8) Verification Committee, in any case consider necessity to have a further field inquiry, may constitute a Sub-Committee consisting two member added by chairmanship of Deputy Superintendent of Police AJAAK, to have a necessity field inquiry with regard to the Claim of Social Status. This inquiry may be done in similar manner like vigilance cell inquiry.

Sub-Committee shall requisite inquiry by getting the places of local residence, domicile residence and general residence etc. of applicant during the inquiry. The requisite information and statement shall be record from village Kotwar, sarpanch, halka patwari, local public representatives or such person who wants to submit facts or documents in support or in opposition of the applicant, Local Gazetted Officers and eminent social members of that caste who are knowing well the applicant also, if any of them wants to give

affidavit in support of their own statement then it shall permit them to submit the affidavit also.

Sub-Committee shall also record the statement of the applicant and his/her parents along with other witnesses by them.

If any document found forged or maliciously prepared during the inquiry by Sub-Committee then it may seize with the help of local police station.

Sub-Committee, by completing its inquiry not more than 15 days, shall assign its report along with relevant documents to the Verification Committee."

8. In sub-rule (1) of rule 17, for the words "one month" the words "15 days" shall be substituted.

9. For rule 18, the following shall be substituted, namely:-

"**18. Procedure adopting by the Verification Committee if is not satisfied with the documentary evidence submitted with application.-** (1) Where the Verification Committee is not satisfied with the application, affidavit and documentary evidence annexed after the inquiry, then it shall give the opportunity to be heard to applicant or non-applicant, if any, within 15 days from the date of receipt of application or within 15 days of reference by non-applicant:

Provided that the Verification Committee shall complete hearings not more than period of 15 days and in case where the Verification Committee is of the opinion that the Certificate seems to have been obtained wrongly or fraudulently, Verification Committee shall forward the original certificate along with relevant documents and its findings to the Scrutiny Committee for further proper proceeding and shall also inform the applicant and non applicant, if any."

(2) The Verification Committee, in such case in which the claim of social status are not found true in prima facie, may direct to competent authority to suspend the referred certificate along with sending its report in all such cases to Scrutiny Committee.

(3) Verification Committee shall maintain the detail of cases and certificate forwarded to Scrutiny Committee in form 5F."

10. After sub-rule (1) of rule 19, the following shall be added, namely:-

"(2) After the perusal of report forwarded and attached documents by Verification Committee, Scrutiny Committee shall determine whether the case requires further inquiry by Vigilance Cell or not.

Scrutiny Committee, in such cases where it decides that further vigilance inquiry is to have necessary, shall send the report of the Verification Committee to the Vigilance Cell for further inquiry under Rule 20.

Scrutiny Committee, in such cases where it Prime Facie in agree to the report of the Verification Committee, shall give an opportunity to the applicant/certificate holder for the purpose of a summary inquiry.

After such hearing, Scrutiny Committee, if it reaches to a conclusion that claim of Social Status of the applicant is not genuine and proper, then it can take proceedings straight away to pass an order under rule 23, there must be clearly mention the reasons for doing so in its order.

After such hearing, Scrutiny Committee, if it reaches to a conclusion that report of the Verification Committee is not as per facts or lacking something in any manner, may forward the report of the Verification Committee to the Vigilance Cell for further inquiry under Rule 20. In this situation, the suspension of the caste Certificate shall be revoked."

11 For sub-rule (2) of rule 20, the following shall be substituted, namely:-

"(2) The Deputy Superintendent of police on its own or through his subordinate police Inspector shall inquire into the case and shall inform Scrutiny Committee, accordingly;"

12. In sub-rule (3) of rule 20, for the words "Police inspector of Vigilance Cell" the words "Deputy Superintendent of Police of Vigilance Cell himself or Police inspector there under" shall be substituted.

13. For clause (c) of sub-rule (3) of rule 20, the following shall be substituted namely:-

"(c) Verify the information stated in the application submitted to Verification Committee by the Applicant shall be on the basis of relevant public documents;"

14. For clause (f) and (g) of sub-rule (3) of rule 20, the following shall be substituted namely:-

"(f) In case any complainant, if any, or any person, who wants to support or oppose the Claim of Social Status, shall record his/her statement or accept affidavit by them and relevant document, if any is produced, shall cognizance there on.

(g) During the examination if it is found that the Applicant or any other person has forged the document with maliciously, seize the document with the help of local police after getting the photocopy of the relevant pages, and its acknowledgement and photocopy shall give to authority maintaining the document and by sealing the document, shall send to Deputy Superintendent of Police of Vigilance Cell."

15. After clause (g) sub-rule (3) of rule 20, the following shall be added namely:-

"(h) submit his report along with all documents to the Deputy Superintendent of Police after completing the investigation."

16. After sub-rule (7) of rule 20, the following shall be added, namely:-

"(8) The Vigilance Cell shall complete its inquiry in not more than two months period."

17. In rule 21,-

(i) in sub-rule (1), for the punctuation full stop"." the punctuation colon ":" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (1), the following shall be added, namely:-

"Provided that Scrutiny Committee, in such cases where it is satisfied and agreed with the report of the Vigilance Cell, shall act as per the recommendation of the Vigilance Cell:

provided further that Scrutiny Committee, in case of Claim of the Social status of the applicant found to be correct, will inform the concerned Verification Committee or State Government and the Applicant:

provided further also that Scrutiny committee, in such cases where it is not satisfied and agreed with the report of the Vigilance Cell, may direct the Vigilance Cell to conduct further inquiry on the decided points by it or decide to inquire the matter itself."

(iii) In sub-rule (2), for the punctuation full stop"." the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(iv) after sub-rule (2), the following shall be added, namely:-

"Provided that Scrutiny Committee, in case of Claim of the Social status of the applicant found as no genuine or correct, shall give an opportunity of hearing to the applicant and shall ask the applicant as to after Verification Committee, report of the Vigilance Cell is also against you, so why they should not be accepted:

provided further that Scrutiny Committee, considering the reply and documents submitted by the applicant/ certificate holder if found good reasons, shall inquire the matter by itself.

provided further also that if Scrutiny Committee not satisfied with the reply and documents submitted by the applicant/ certificate

holder, shall declare to close the hearing for passing final order under rule 23."

18. In of rule 22.-

(i) in sub-rule (2), for the punctuation full stop "." the punctuation colon ":" shall be substituted; and

(ii) after sub-rule (2), the following shall be added, namely:-

"Provided that Scrutiny Committee, After receiving the reply of the applicant, shall determine the date of hearing by convening a meeting."

(iii) for sub-rule (3), the following shall be substituted, namely:-

"(3) Scrutiny Committee shall also issue a proclamation for general information for hearing which shall be publicize in the Villages by beating the drums, advertisement or other suitable mediums so that if any person or organization may support or oppose the claim of the applicant and such person or organization, if any, shall also get an opportunity for submitting documentary evidence during the hearing."

19. In form-6A, the words "for investigation and scrutiny" shall be omitted.

20. For entries of para 3 of form-6B, the following shall be substituted, namely :-

" Why not get your social status certificate revoked."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
KAMALPREET SINGH, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.